प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6– राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक 381 /प्र–1/2005–0216/11 दिनांक 17/3/ 2011

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1862/प्र–1/2005–0216/10 दिनांक 29.9.2010 द्वारा उ0प्र0 जल निगम में अधीक्षण अभियंताओं का वेतनमान रू0 14300– 400– 18300 को छठे वेतनमान मे वेतन निर्धारण की कार्यवाही स्थगित किये जाने के निर्देश पारित किये गये थे।

उ0प्र0 इंजीनियर्स एसोसियेशन के पत्र दिनांक 1 जनवरी, 2011 द्वारा वेतनमान रू0 14300–400–18300 के संदर्भ मे प्राप्त प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत अध्यक्ष, जल निगम की अनुमति से एसोसियेशन द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण कर संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 169/प्र–1/2005–0216/11 दिनांक 7–2–2011 द्वारा समिति का गठन किया गया। उक्त वेतनमान के संबंध मे समिति द्वारा अपनी संस्तुति दिनांक 11.2.2011 को उपलब्ध कराई गयी।

समिति द्वारा दी गयी संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों के दृष्टिगत उपरोक्त ज्ञाप 1862 दिनांक 29.9.2010 को एतद् द्वारा ज्ञाप के निर्गमन की तिथि से निरस्त किया जाता है।

(नवनीत सहगल)
अध्यक्ष

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,/ प्रबंध निदेशक / वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
2– समस्त मुख्य अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम
3– निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0/मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
4– विधि परामर्शदाता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
5– समस्त अधीक्षण अभियंता /मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/प्रबंधक, उ0प्र0 जल निगम
6– मैनेजर, ईडीपी सेल, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
7– समस्त अधिशासी अभियंता /परियोजना प्रबंधक /उप प्रबंधक, उ0प्र0 जल निगम,
8– समस्त मान्यता प्राप्त संगठन, उ0 प्र0 जल निगम,
9– मुख्यालय के समस्त अधिकारी/ अनुभाग
10–गार्ड फाइल ।

R. Rastogi

(रवि रस्तोगी)
सचिव (प्रशासन)

प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6- राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक 400 /प्र-1/2005-0216/11 दिनॉक 22.03.2011

सेवा में,

मुख्य लेखाधिकारी,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

विषयः-सहायक अभियंता के पद पर पॉँच वर्ष पर प्रोन्नतीय वेतनमान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वरिष्ठ वित्त एवम् लेखाधिकारी (जी0ए0डी0) के पत्र सं0 81/जी0ए0डी0/2304-0513 दिनॉक 24.02.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक अभियंता के पद पर 5 वर्ष प्रोन्नतीय वेतनमान के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश सं0-वे0आ0-2-560/10-45(एम)/99 दिनॉक 02.12.2000 के अनुसार समयमान वेतनमान दिये जाने के आदेश वर्तमान मे लागू है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 मे समयमान वेतनमान की व्यवस्था प्रभावी है तदानुसार निम्नानुसार अवगत कराना है कि:-

1- सीधी भर्ती के सहायक अभियंता के पद पर 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर प्रथम प्रोन्नतीय वेतनमान तथा सहायक अभियंता एवम् सीधी भर्ती के सहायक अभियंता /अधिशासी अभियंता के पद पर 18 वर्ष की सम्मिलित संतोषजनक सेवा पर द्वितीय प्रोन्नतीय वेतनमान देय है।

2- समयमान वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान मे वेतन आहरित करने एवम् बाद मे उसी वेतनमान मे प्रोन्नत की स्थिति मे वेतन निर्धारण आदेश सं0-727/प्र-1/2005-0211/10 दिनॉक 12.04.2010 के साथ संलग्न दिशा निर्देश(संलग्नक-2) के प्रस्तर-11(4) के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

3- रूपया 12000-16500 का वेतनमान जल निगम के अभियंत्रण संवर्ग मे लागू नही है।

इस कार्यालय के ज्ञाप सं0-381/प्र-1/2005-0216/11 दिनॉक 17.03.2011 के आलोक मे सम्बन्धित कार्मिकों का षष्टम वेतनमान मे वेतन निर्धारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(रवि रस्तोगी)
सचिव(प्रशासन)

पृ0सं0 एवम् दिनॉक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- निजी सचिव, अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम,लखनऊ।
2- समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-1/स्तर-2), उ0प्र0 जल निगम।
3- मुख्य अभियंता (अ-2-1), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0/मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (जी0ए0डी0) उ0प्र0 जल निगम,लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनॉक 24.02.2011 के संदर्भ में ।
6- गार्ड फाइल ।

R. Rastogi 22/3/11
सचिव(प्रशासन)

Gen-lett-642